इमरजेंसी में मुझे बिना अपराध जेल में रखा : जोगेश्वर गर्ग

विधानसभा में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान बिल पर बहस के दौरान बोले मुख्य सचेतक

जयपुर। लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान बिल पर बहस के दौरान सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान मुझे 151 के तहत गिरफ्तार करके महीनों तक जेल में रखा। हमारी कोई गवाही नहीं देता था। उस समय का वातावरण क्या था, यह बताता हूं। पहले तो मजिस्ट्रेट ही सुनवाई नहीं करते थे, फिर जैसे तैसे सुनवाई हुई। जज ने हमें गिरफ्तार करने वाले थानेदार से पूछा कि इनका गुनाह क्या है, तो वह बोला कि ये तो आगजनी कर रहे थे। हम तो दो लोग मसाल लेकर जा रहे थे, आगजन कैसे करते। फिर जब दूसरे गुनाह के बारे में पूछा तो थानेदार ने कहा कि ये नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे। यह आज भी कोर्ट के रिकॉर्ड में मिल जाएगा। उस वक्त भारत माता की जय बोलना अपराध घोषित कर दिया था, कांग्रेस के लोग उस दौर को जस्टिफाई कर रहे थे, आपसे और गया बीता कौन हो सकता है? आप उस दौर की ज्यादतियों के लिए माफी मांगते तो कोई बात थी।

- **इमरजेंसी में जेल जाने वाले मुल्जिम : रफीक खान**

लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक रफीक खान के इमरजेंसी में जेल जने वालों के लिए मुल्जिम शब्द का इस्तेमाल करने पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति की। इस पर सदन में हंगामे के हालात बन गए। काफी देर तक कांग्रेस-बीजेपी विधायकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। रफीक खान ने कहा कि जुर्म करोगे तो जेल ही जाओगे? आप जुर्म करने वाले मुल्जिमों को पेंशन देने कानून ला रहे हो। इस पर बीजेपी विधायकों ने कहा कि मुल्जिम कहना गलत होगा। रफीक खान ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले को मुल्जिम ही कहोगे। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ आपने कैसा बर्ताव किया। उनके साथ वादाखिलाफी की। किसान क्या लोकतंत्र का पार्ट नहीं है। हमारी सरकार की चिरंजीवी स्कीम बरकरार रख लेते तो बिल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल पर बहस के दौरान बीजेपी विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान भारी अत्याचार किए गए। हम आरएसएस की शाखाओं में जाते थे, उस समय नाबालिग थे। हमारे एक 16 साल के बाल स्वयंसेवक को पुलिस ने पकड़कर इतना पीटा कि उसके कान के पर्दे फट गए। इमरजेंसी में मनमाने तरीके से जेल में डाला गया। एक रोडवेज ड्राइवर का किस्सा है, बीच रोड भैंस बैठी थी, उसे लेकर रोडवेज ड्राइवर ने कमेंट कर दिया कि इंदिरा गांधी की तरह ठूंठ बनकर बैठी है। इस कमेंट पर उस ड्राइवर को जेल में डाल दिया था। जैन ने कहा कि इंदिरा गांधी को भरोसा दिलाया गया था कि 400 सीट कांग्रेस की आएगी, तब इमरजेंसी हटाकर चुनाव करवाने का फैसला किया था। तब लोग कहते थे कि गाय और बछड़ा दोनों हारेंगे। उस समय गाय और बछड़ा कांग्रेस का चुनाव चिह्न था। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों चुनाव लड़े और हारे थे। इमरजेंसी को सिलेबस में शामिल करके पढ़ाया जाए ताकि नई पीढ़ी को पता लगे।

सीकर रोड पर ढेहर के बालाजी पर बारिश के दौरान पानी भराव से निजात के लिए नाला डाला जा रहा है। अंबाबाड़ी सब्जी मंडी के पीछे तक ये नाला पहुंचे काफी समय हो चुका है। तब से इस रोड को खोद कर छोड़ रखा है। लोग लंबा चक्कर बचाने के लिए जीवन जोखिम में डाल कर नाला क्रॉस कर रहे हैं।

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सुषमा महाजन द्वारा बनाए चित्रों की प्रदर्शनी हीलिंग स्ट्रोक्स का शुभारंभ केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत शनिवार को सुबह 11 बजे करेंगे। होटल ताज आमेर में जलरंगों से सजे कैनवास का यह प्रदर्शन 23 मार्च सांय 8 बजे तक रहेगा। पेशे से रेडियोलॉजिस्ट डॉ. सुषमा महाजन की चित्रकारी किसी विशेष शैली से सम्बद्ध नहीं है। उन्होंने मानव रचित और प्राकृतिक सुंदरता को बेहद खूबसूरती से अपने ब्रश के सहारे कैनवास पर उकेरा है। उनके चित्रों का आकर्षक और विविध संसार दर्शकों को उसी में खो जाने के लिए विवश करता है। वर्तमान प्रदर्शनी के खूबसूरत चित्रों की मुख्य विषयवस्तु मंदिर एवं आध्यात्म, प्रकृति एवं वन्य जीव, ऐतिहासिक वास्तुकला एवं कारें हैं। इस प्रदर्शन में शामिल कुल 46 कृतियां, में से 8 आध्यात्मिक रचनाएं हैं, जो मन को सुकून प्रदान करती है। संगीत वाद्यों के साथ भगवान गणेश, शिव और राधा कृष्ण का साक्षात एवं जीवंत रूप में चित्रण किया गया है।

राजस्थान भू राजस्व विधेयक प्रवर समिति को भेजा

जयपुर। राज्य विधानसभा में शुक्रवार को राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक विचारार्थ लाया गया।

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने बहस का जवाब देने के बाद बिल को सलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की जगह जनमत जानने के लिए भेजने की मांग करते हुए डिवीजन की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इसे मंजूर नहीं किया। कांग्रेस विधायकों ने इसके विरोध में सदन से वॉकआउट किया।कांग्रेस के वॉकआउट पर संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इन्हें पता है कि आज इमरजेंसी पर चर्चा होने वाली है, इसलिए भाग गए। जिस पर बोलते हुए विपक्ष के विधायकों ने सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की। हंगामे के बीच सरकार ने बिल को प्रवर समिति को भेज दिया। इससे पहले इस विधेयक पर बोलते हुए लैंड यूज का अधिकार रीको को देने की बात पर भरतपुर से विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपति सस्ते दामों पर जमीन लेते हैं।

ए.सी.बी. केस में पूर्व आई.ए.एस. पहाड़िया के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द

हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण कंपनी से मासिक बंधी मांगने से जुड़े एसीबी केस में पहाडिया की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए आदेश दिए

जयपुर। हाईकोर्ट ने सड़क निर्माण कंपनी से मासिक बंधी मांगने से जुड़े एसीबी केस में अलवर कलेक्टर रहे पूर्व आईएएस नन्नूमल पहाडिया के खिलाफ एसीबी कोर्ट में चल रही कार्रवाई को रद्द कर दिया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश नन्नूमल पहाडिया की आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर याचिकाकर्ता पर रिश्वत मांगने या लेने का आरोप साबित नहीं होता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता के पास शिकायतकर्ता का कोई काम भी लंबित नहीं था। ट्रेप कार्रवाई में भी रुपए सह आरोपी अशोक सांखला के चालक नितिन शर्मा से बरामद हुए हैं। शिकायतकर्ता ने जब एसीबी में शिकायत दी थी, उससे पूर्व ही याचिकाकर्ता का अलवर कलेक्टर पद से तबादला कर उन्हें कार्यमुक्त किया जा चुका था। वहीं यदि एसीबी की कहानी पर एक क्षण के लिए विश्वास भी कर लिया जाए तो मामला ज्यादा से ज्यादा धोखाधड़ी का बनता है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जीएस राठौड़ ने अदालत को बताया कि केसीसी बिल्डकॉन प्रा. लि. के प्रतिनिधि इकबाल सिंह ने 22 अप्रैल, 2022 को एसीबी में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा कि उसकी कंपनी दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेस वे ग्रीन फील्ड सड़क का निर्माण कर रही है। इसका काम सुचारू चलाने की एवज में अलवर कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया मासिक चार लाख और भू प्रबंध अधिकारी अशोक सांखला मासिक पचास हजार रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने सांखला के चालक नितिन शर्मा को ट्रेप किया था। इसके बाद याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि जिस दिन एसीबी में शिकायत दी गई, उस दिन याचिकाकर्ता कलेक्टर पद पर नहीं था। इसके अलावा उसके पास शिकायतकर्ता का कोई काम भी लंबित नहीं था। वहीं रोड निर्माण का काम का भी उसे सुपरविजन में नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच हुई बातचीत में रिश्वत मांगने का कोई साक्ष्य नहीं था। ऐसे में मामले में की गई आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया जाए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सह आरोपी सांखला ने याचिकाकर्ता के लिए रिश्वत ली थी और एसीबी ने आरोप प्रमाणित मानकर आरोप पत्र पेश किया है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया है।

अदालत ने कहा कि कंपनी यदि कानूनी रूप से काम कर रही है तो उसे अफसरों से बिना काम संबंध रखने की जरूरत नहीं थी। सह आरोपी और पहाडिया के बीच बातचीत में रिश्वत का जिक्र नहीं। ट्रेप कार्रवाई पहाडिया से संबंधित नहीं, सह आरोपी के चालक से बरामदगी हुई। अभियोजन पक्ष पहाडिया की ओर से रिश्वत मांगने का ठोस साक्ष्य नहीं पेश कर सका। पहाडिया 13 अप्रैल, 2022 तबादला होकर 18 अप्रैल को कार्यमुक्त, जबकि शिकायत 22 अप्रैल की है। निचली अदालतों में मुकदमों का बोझ, झूठे मुकदमों से वास्तविक प्रकरणों की सुनवाई प्रभावित हो रही।

पूर्ण भव्यता से मनाया जाए राजस्थान दिवस : दिया कुमारी

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को पर्यटन भवन में पर्यटन शासन सचिव रवि जैन की उपस्थिति में सामान्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें उन्होंने राजस्थान दिवस को भव्यता से मनाने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने इस सम्बन्ध में चर्चा कर अधिकारियों को सभी तरह की तैयारी मुस्तैदी से करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके साथ ही संस्कृति और परंपराओं के त्यौहार गणगौर को भव्यता से मनाने के भी निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्थान आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए ऐसा जल्द ही ऑनलाइन ऐप तैयार किया जाये, जिससे आने वाले पर्यटक ऐप के माध्यम से सभी तरह की पर्यटन सूचनाएं प्राप्त कर सके, साथ ही पर्यटन सम्बंधित मदद भी प्राप्त कर सके। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग से सम्बंधित बजट घोषणाओं पर बिंदुवार चर्चा कर उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं की समयबद्धता से पालना सुनिश्चित की जाए।

सामान्य समीक्षा बैठक में अतिरिक्त निदेशक पर्यटन तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गोविन्द देव जी मंदिर के सौंदर्यकरण और जीर्णोद्धार हेतु शुक्रवार को मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास के सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

जयपुर जिंदा बम मामले में बहस पूरी, फैसला 29 को

जयपुर। जयपुर बम ब्लास्ट मामलों की विशेष अदालत में 13 मई 2008 को शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम मामले में राज्य सरकार व आरोपी पक्ष की बहस पूरी हो गई है। विशेष कोर्ट मामले में 29 मार्च को अपना फैसला देगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अभियोजक श्रवण कुमार ने मामले के चार आरोपी शाहबाज हुसैन, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ व सैफुर्रहमान के खिलाफ 112 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं। वहीं करीब 1200 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। आरोपियों के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से कोई भी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए। बचाव पक्ष ने 122 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है। आरोपी पक्ष की ओर से अपनी बहस में कहा गया कि इस मामले और पूर्व में जयपुर बम ब्लास्ट केस के तथ्य समान हैं। इन्हीं समान तथ्यों पर हाईकोर्ट आरोपियों को बरी कर चुका है। इस मामले में अभियोजन पक्ष यह भी पता नहीं कर पाया है कि साइकिल किसने रखी थी। वहीं चांदपोल गेट के बाहर किसी आरोपी की निशानदेही भी साबित नहीं हो पाई है। इसलिए आरोपियों को दोषमुक्त किया जाए। गौरतलब है कि जयपुर बम ब्लास्ट केस में हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को चार आरोपियों मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी व एक अन्य को दोषमुक्त कर दिया था। जिंदा बम मामले में एटीएस ने पूर्व एडीजी अरविन्द कुमार जैन व मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन सहित साइकिल कसने वाले दिनेश महावर को गवाह बनाया था।

एलआईसी एजेंटों ने राहुल गांधी से मुलाकात की

जयपुर। एलआईसी एजेंटों ने केंद्रीय प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और कई मुद्दे उठाये।

एलआईसी के सीईओ एवं एमडी सिद्धार्थ महान्ति ने कहा कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि एलआईसी द्वारा ऐसे उत्पाद प्रस्तुत किये गये है जो इरडा द्वारा निर्धारित नये उत्पाद विनियमों के अनुरूप हैं जिसमें पॉलिसीधारकों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है।

उन्होंने कहा कि एलआईसी जीवन बीमा कवरेज को व्यापक बनाने के लिये प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य हर बीमा योग्य व्यक्ति को सस्ती कीमत पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उत्पाद विनियमों में बदलाव के बाद भी एजेंटों के लिये कमीशन कम नहीं किया गया है।

विभागीय कर्मचारियों के लिए सुरक्षित पदों में आरक्षण नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2023 में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखे गए पदों में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने भर्ती में याचिकाकर्ताओं के हित सुरक्षित रखने को कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रोहित कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि आरएएस एवं अधीनस्थ संयुक्त भर्ती परीक्षा के तहत सहकारिता विभाग में

- **अदालत ने भर्ती में याचिकाकर्ताओं के हित सुरक्षित रखने को कहा है**

निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के पदों पर भर्ती की जाती है। साल 2023 की इस भर्ती में निरीक्षक ग्रेड द्वितीय के कुल पदों में से 24 पद सहकारिता विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे गए। आरपीएससी की ओर से भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करते समय विभागीय पदों पर केवल मात्र सामान्य कट ऑफ जारी की गई। परीक्षा में भाग ले रहे विभाग के आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए अलग से कट ऑफ जारी नहीं की गई। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता आरक्षित वर्ग के कर्मचारी हैं, लेकिन आयोग ने सामान्य कट ऑफ जारी कर उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित कर दिया। जबकि विभागीय कोटे के अलावा अन्य पदों के लिए वर्गवार कट ऑफ जारी कर आरक्षण का लाभ दिया गया। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नित में भी आरक्षण का लाभ दिया जाता है। ऐसे में उन्हें विभागीय पदों पर भी तय मापदंड के अनुसार आरक्षण लेने का अधिकार है। इसलिए भर्ती में उनके लिए भी विभागीय पदों में से पद आरक्षित रखे जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ताओं के हित सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं।

संस्कृत और शास्त्रों से होगा भारत का उत्थान : धामी

हरिद्वार। हमारे शास्त्र केवल ग्रंथ नहीं,बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रहस्यों को जानने का माध्यम हैं। भारतीय शास्त्रों और ग्रंथों में ऐसे अद्भुत सूत्र निहित हैं,जो आधुनिक ज्ञान-विज्ञान में परिलक्षित होते हैं। उक्त उद्गार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि विश्वविद्यालयमें आयोजित 62वीं अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव स्पर्धा के समापन समारोह में व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का आधार हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, जिनमें विज्ञान, योग, चिकित्सा, गणित और दर्शन के गूढ़ रहस्य समाहित हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ऋषि-मुनियों द्वारा किए गए अनुसंधानों को केवल विरासत के रूप में संरक्षित करने के बजाय, उसे आगे बढ़ाना और आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जैसे अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान पूरे भारत में फैला,वैसे ही इस शास्त्रोत्सव के माध्यम से संस्कृत और शास्त्रों के गूढ़ रहस्य पूरे देश और वैश्विक स्तर पर फैले। उन्होंने कहा कि वेदों और शास्त्रों को व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी में इनके प्रति रुचि और आस्था विकसित हो।

उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मौजूद थे।

इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं योगऋषि स्वामी रामदेव ने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है,बल्कि यह पूरे विश्व में किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सनातन धर्म और भारतीय प्राचीन शास्त्रों में विश्व के सभी ज्ञान-विधाओं का समावेश है। स्वामी रामदेव ने अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव को संस्कृत और संस्कृति का संगम बताते हुए कहा कि सभी मूल भाषाएँ संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं,और इस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए।

- **संस्कृत केवल भाषा नहीं, अपितु विश्व नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम : स्वामी रामदेव**
- **संस्कृत तीर्थ और संस्कृति का गौरव : आचार्य बालकृष्ण**

उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने तथा भारतीय ज्ञान परंपरा को पुन: स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम में पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने संस्कृत को तीर्थ और संस्कृति का गौरव बताते हुए जीवन में प्राचीन भारतीय शास्त्रों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा को जीवन की उन्नित का मार्गदर्शक बताया। आचार्य ने देशभर से आए विद्वानों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों और सनातन परंपरा के अनुयायियों को दिशा-निर्देश दिए कि वेद और शास्त्रों के महत्व को जन-जन तक पहुँचाने के लिए सतत प्रयास करते रहें।

वन विभाग को इलेक्ट्रिक गोल्फ भेंट

जयपुर। पावरग्रिड ने वन विभाग, राजस्थान सरकार को इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट की आपूर्ति की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित एक भव्य समारोह में वन विभाग को पावरग्रिड द्वारा आपूर्ति की गई 14-सीटर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट को हरी झंडी दिखाई। ये गोल्फ कार्ट 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर मुख्यमंत्री राजस्थान की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में वन विभाग को सौंपे गए। यह सीएसआर पहल न केवल पर्यावरण स्थिरता में मदद करेगी बल्कि राष्ट्रीय उद्यान में आने वाले आम लोगों की सुविधा भी सुनिश्चित करेगी। पावरग्रिड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तत्वावधान में एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है। पावरग्रिड राजस्थान राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और विभिन्न ट्रांसमिशन परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं और कई कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, पावरग्रिड विभिन्न सीएसआर पहलों के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है।

छत्तीसगढ़ स्थित परसा खदान से कोयले का खनन शुरू

जयपुर। राज्य के विद्युत गृहों को कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देशन में ऊर्जा विभाग द्वारा किए जा रहे सतत् प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ स्थित परसा खदान से मार्च 2025 से कोयले का खनन शुरू हो गया है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के कोयला मंत्रालय ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को 4340 मेगावाट क्षमता के तापीय विद्युत गृहों के लिए छत्तीसगढ़ में तीन कोयला खदान परसा ईस्ट एवं कांता बासन (पीईकेबी), परसा एवं केंटे एक्सटेंशन आवंटित की हुई हैं। अब तक पीईकेबी खदान से कोयले की निरन्तर आपूर्ति हो रही थी। अब इसी दिशा में परसा खदान से भी खनन प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रकार अब तीन कैप्टिव कोल ब्लॉकों में से 2 कोल ब्लॉक से कोयले का खनन किया जा रहा है। जिनसे उत्पादन निगम के तापीय विद्युत गृहों को फिलहाल प्रतिदिन लगभग 13

- **राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से विद्युत गृहों को कोयले की पर्याप्त उपलब्धता : नागर**

कोल रैक प्राप्त हो रही हैं, जिन्हें निकट भविष्य में बढ़ाकर 14 रैक प्रतिदिन किया जाएगा।

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि प्रदेश के विद्युतगृहों के लिए कोयले की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार आने वाले दिनों में सरगुजा जिले में आवंटित खदान केंटे एक्सटेंशन से भी खनन प्रारंभ करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिशा-निर्देशन में छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग तथा केंद्र सरकार के समन्वय से केंटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक भी विकास की दिशा में अग्रसर है और निकट भविष्य में यहां से भी कोयला मिलने लगेगा।